Sixteenth Loksabha

p>

Title: Regarding POCSO Act - Laid.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): POCSO एक्ट के अनुसार 18 वर्ष की आयु से कम आयु की कन्या के साथ भागने, विवाह करने, विवाह से बच्चे होने की स्थिति के बाद अपराध सिद्ध होने पर आरोपी पुरुष कारावास भोगता है। हिन्दू मैरिज एक्ट के अनुसार अवयस्क यदि विवाह कर लेते हैं तो वयस्क होने पर उस विवाह की वैधानिकता पर यदि प्रश्न नहीं उठाया जाता है तो वह विवाह वैधानिक रहता है। मेरा मत है कि इस प्रकार के भागकर किये जाने वाले विवाह जिसमें POCSO एक्ट लागू हो किन्तु विवाह, बच्चे होने की स्थिति में जब पिता जेल में होता है तो लड़की और बच्चों को ससुराल में भी कोई स्वीकार नहीं करता है। इस समस्या का संज्ञान लेने की आवश्यकता है।